

डिजिटल इंडिया: भारतीय डिजिटल क्रांति

राकेश कुमार सिंह¹ एवं रंजन सिंह²
¹वैज्ञानिक-डी(सूचना प्रौद्योगिकी), गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत् विकास संस्थान,
 कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा-263643, उत्तराखंड, भारत
²एम.सी.ए. छात्रा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत
 rksingh@gbpihed.nic.in, ranjan418@yahoo.com

प्राप्त तिथि- 31.05.2017, स्वीकृत तिथि-26.08.2017

सार- डिजिटल इंडिया, भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। इस योजना में एक टू-वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहाँ दोनों (सेवा प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर-मंत्रालयी पहल होगी जहाँ सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगे जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। चयनित रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। यह योजना केन्द्र सरकार की सर्वोपरि प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। जबकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन तथा भारतीय ई-सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियाँ भी हैं। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर किया जाएगा।

बीज शब्द- डिजिटल, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट।

Digital India: Indian Digital Revolution

¹Rakesh Kumar Singh and ²Ranjan Singh
¹Scientist-D(Information Technology), Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan
 Environment and Sustainable Development, Kosi-Katarmal, Almora-263643, Uttarakhand, India
²M.C.A. Student, I.G.N.O.U., New Delhi, India
 rksingh@gbpihed.nic.in, ranjan418@yahoo.com

Abstract- Digital India is an initiative of the Government of India, under which government departments have to connect with the people of the country. The purpose of this scheme is to ensure that the government services can be accessible electronically to the public without use of paper. The purpose of this scheme is to connect the rural areas through High Speed Internet. A two-way platform will be built in this scheme where both (service providers and consumers) will be benefited. This will be an inter-ministerial initiative where all the ministries and departments will bring their services to the public such as health, education and judicial service, etc. The Public Private Partnership (PPP) model will be adopted as a choice. This scheme is one of the top priority projects of the Central Government. While there are many significant drawbacks like legal framework, lack of privacy, lack of data security rules, civilian autonomy abuses, and lack of parliamentary surveillance for Indian e-surveillance and Indian cyber insecurity. All these shortcomings will be removed before implementing Digital India.

Key words- Digital, Broad band, Electronic, Information Technology, Internet.

1. **प्रस्तावना-** डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य आई.टी. की क्षमता को प्रयोग कर के भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था(नॉलेज बेस्ड इकॉनमी) में बदलना है। यह कार्यक्रम 7 अगस्त, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया और इसे वर्ष 2018 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है जो यह सुनिश्चित करेगा की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत छः लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी गई हैं। इन पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने पर 70 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत एक लक्ष्य 1.7 लाख आई.टी. पेशेवर तैयार करना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-¹

- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना।
- डिजिटल साक्षरता।

2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभ²

- **ब्रॉडबैंड हाइवेज**— सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसीज) के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न फ्रीक्वेंसीज या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाइवे पर एक से ज्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज्यादा गाड़ियाँ आवाजाही कर सकती हैं। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से देशभर के ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
- **मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच**— देशभर में अनुमानतः सवा अरब की जनसंख्या में मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या दिसम्बर 2016 तक करीब 112 करोड़ थी। शहरी इलाकों तक भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। हालांकि, बाजार में निजी कंपनियों के कारण इसकी सुविधा में पिछले एक दशक में बहुत बढ़ोतरी हुई है। देश के 55,000 गाँवों में अगले पाँच वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड(यूएसओएफ) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग में आसानी होगी।
- **पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम**— भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुँच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ अनेक तरह की गतिविधियों को चलाया जाएगा।
- **ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार**— प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सुधारना— सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाण पत्रों, वोटर आई.डी. कार्ड्स आदि की जहाँ आवश्यकता पड़े, वहाँ इसका ऑनलाइन प्रयोग किया जा सकता है। यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण—यूआईडीएआई(आधार), पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में सहायक साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा।
- **ई-क्रांति: सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी**— इसमें अनेक बिंदुओं को फोकस किया गया है। ई-एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, सभी स्कूलों(ढाई लाख) को मुफ्त वाइ-फाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रियल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हेल्थकेयर की सुविधा देना। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम प्रोग्राम चलाया जाएगा।
- **सभी के लिए सूचना**— इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुँच कायम की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुँच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही, नागरिकों और सरकार के बीच दो-तरफा संवाद की व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता**— इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम वस्तुओं का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत *नेट जीरो इंपोर्ट्स* का लक्ष्य रखा गया है ताकि वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए जाएंगे। फ़ैब-लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो-एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी**— देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका प्रयोग बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियाँ ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करेंगी। गाँवों व छोटे शहरों में लोगों को आई.टी. से जुड़ी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आई.टी. सेवाओं से जुड़े व्यापार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- **अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम**— डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढाँचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रम शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी जिसे तैयार करना होगा।

3. **कार्यक्रम प्रबंधन संरचना**— भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन का ढांचा स्थापित किया गया है। प्रबंधन संरचना के मुख्य घटक में परियोजनाओं को अनुमोदन देने हेतु आर्थिक मामलों(सीसीईए) की मंत्रिमंडलीय समिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया का एक सलाहकार समूह, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति, व्यय वित्त समिति(ईएफसी), गैर योजना व्यय(सीएनई) आदि हैं। भारत सरकार की संस्था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वित करेगी जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएनएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 2,50,000 गाँवों को एफ.टी.टी.एच. ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह वर्ष 2018 तक पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी।

4. प्रत्येक नागरिक के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में—

- एक कोर उपयोगिता के रूप में उच्च गति का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।
- जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान— अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणिक।
- मोबाइल फोन और बैंक खाता व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय प्रक्षेत्र में भाग लेने के लिए सक्षमता प्रदान करेगा।
- उनके क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा।
- पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी जगह।
- देश में निरापद और सुरक्षित साइबर—स्पेस।

5. डिजिटल इंडिया का कार्य-क्षेत्र—

- भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना।
- परिवर्तन को साकार करने के लिए महसूस करना— आई.टी.(इंडियन टैलेंट) + आई.टी.(इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी) = आई.टी.(इंडिया टुमोरो)।
- परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना।
- एक शीर्ष कार्यक्रम बनना जो कई विभागों तक पहुंचे।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कई मौजूदा योजनाओं को पुनर्गठित और पुनर्केंद्रित एवं एक सुगठित ढंग से लागू करना।

6. **डिजिटल इंडिया के सामने प्रमुख चुनौतियाँ**—³ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को इसके लक्ष्य तक पहुँचाने की राह में कई चुनौतियाँ हैं। इसमें मानव संसाधन यानी कर्मचारियों की कमी की समस्या सबसे अहम है।

- देश में सूचनाओं को प्रेषित करने वाली संस्था नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर(एनआईसी) के पास इस टास्क को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। सभी स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों की आवश्यकता होगी, जिसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। वरिष्ठ स्तर पर कम से कम चार अधिकारियों की आवश्यकता होगी। साथ ही इसके लिए सभी मंत्रालयों को मुख्य सूचना अधिकारी एवं मुख्य तकनीकी अधिकारी की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, एक प्रमुख समस्या वित्तीय संसाधनों से जुड़ा है। नेसकॉम के मुखिया आर0 चंद्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है।
- आम जनता के हित में केंद्र और राज्य सरकारों की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। केन्द्र सरकार का प्रयास यही है कि समाज के सबसे निम्न पायदान पर बैठे लोगों के जीवन में बदलाव आए। हालांकि, भ्रष्टाचार के दीमक के कारण और अपने अधिकार के विषय में सूचना के अभाव के कारण लोगों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर पैसा उन लोगों तक नहीं पहुँचता है जो कि इसके अधिकारी होते हैं। यदि सूचनाओं को डिजिटल कर दिया जाए और संप्रेषण को आसान बना दिया जाए, तो सरकार की योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी होगी। गाँव-पंचायत में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों-मसलन मनरेगा, इंदिरा आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील आदि कई ऐसी योजनाएं हैं, जो गाँवों में चलाई जाती हैं।
- शिक्षा से लेकर गरीबी उन्मूलन तक विकास की 29 ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें लागू करने के लिए सरकार पंचायतों पर निर्भर है। देश के ग्रामीण सभी इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, जब उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी होगी। अगर ग्रामीणों को इन योजनाओं की सही जानकारी दी जाए, इनमें खर्च की जाने वाले राशि और होने वाले काम के विषय में जानकारी हो तो वे अपने अधिकार मांग सकते हैं।
- यदि हर पंचायत में इंटरनेट हो, उनकी अपनी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट में गाँव-पंचायत से जुड़ी सभी सूचनाओं, योजनाओं, उनके निष्पादन की स्थिति का वर्णन हो तो गाँव को इससे बहुत फायदा होगा।

- आधार कार्ड का पूरा डाटाबेस ही अमेरिकी सर्वर पर रखा हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले उस डाटाबेस को ही भारत में लाओ। डाटाबेस का स्वदेशी सर्वर पर होना और पूरी तरह सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। भारत में बैंडविड्थ दूसरे बड़े देशों की तुलना में बहुत महंगी भी है, इंटरनेट कनेक्शन कैसे चलते हैं, यह भी सभी जानते हैं। अभी सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि भारत में भी ऐसे सर्वर लग सकें, जो सस्ते और बहुत कारगर भी हों। इंटरनेट सेवाओं के ग्राहक कहते हैं कि हमें भारत में लगा सर्वर चाहिए। तब हमारा डिजिटल इंडिया की राह में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण सपना पूरा होगा।
- पूरे देश में बैंडविड्थ की बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से इंटरनेट बहुत धीमा चलता है। डिजिटल इंडिया और फ्री वाई-फाई जैसी चीजों के बारे में कहने से पहले बुनियादी सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर बहुत काम करने की आवश्यकता है।
- जहाँ तक इंटरनेट स्पीड की बात है तो भारत दुनिया में इंटरनेट स्पीड के मामले में 118वें नंबर पर है। भारत से बेहतर स्पीड थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम की है। 0.7 प्रतिशत यूजर को ही भारत में 10 एमबीपीएस स्पीड नसीब है। 4.9 प्रतिशत लोगों को 4 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में भारत की 121 रैंकिंग है।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कंपनियों ने इस योजना में अपनी रुचि दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएँ भी आ सकती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आवश्यक बीसीबी ई-गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई-शासन योजना (National e-Governance Plan) का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। निजता सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई-शासन तथा ई-कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भारत का कमजोर नियंत्रण है। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई-प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। भारत के साइबर सुरक्षा चलन ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया है। यहाँ तक कि अब तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2013 अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पायी है। इन सभी वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंधन करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा। तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई-कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है।

7. सरकारी सेवा तक न हो सीमित⁴— पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल ने लोगों के जीवन को सरल बनाया है। आज मोबाइल का प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत है। इसके माध्यम से सरकार जनता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचा सकती है। भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सिर्फ सरकारी योजनाओं या सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखने से बात नहीं बनेगी। इसके तहत कुछेक साझेदारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर कुछ विशेष क्षेत्रों को चिन्हित करके सरकार इस दिशा में आगे बढ़े तो एक निश्चित समय सीमा के तहत इसका बहुत फायदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर सरकार को इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में एनजीओ को भी शामिल करना चाहिए। देश में लगभग 33 लाख एनजीओ हैं। इन एनजीओ के जरिए कई करोड़ डॉलर खर्च किये जाते हैं जो कि देश-विदेश से आते हैं। समाज से जुड़े इस क्षेत्र की पहुँच गाँव-गाँव तक है। इन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

8. गाँव-शहर के बीच डिजिटल गैप— केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वह भारत और इंडिया के बीच का अंतर मिटा देगी। ग्रामीण एवं शहरी सभी लोगों को समान रूप से डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। आज देश में लगभग 112 करोड़ फोन कनेक्शन हैं, जिनमें 66 करोड़ कनेक्शन शहरों और 46 करोड़ गाँवों में हैं। शहरी इलाकों में टेलीफोन घनत्व 165 है तो गाँवों में इसका घनत्व है महज 52 है। शहर-गाँव के इस असंतुलन को पाटना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकार बीएसएनएल को नए सिरे से तैयार कर रही है और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बीएसएनएल 1.5 करोड़ नए कनेक्शन जारी करेगा। लक्ष्य यह है कि वर्ष 2019 तक हर गाँव में टेलीफोन सेवा पहुँच जाए। साथ ही ट्राई ने वर्ष 2020 तक तेज रफ्तार इंटरनेट घर-घर तक पहुँचाने की भी योजना बनाई है। सरकार चाहती है कि हर पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़े, लेकिन उसकी नीति में स्थानीय जरूरतों की उपेक्षा हो रही है। जैसे ग्रामीणों की आर्थिक हैसियत इत्यादि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि शहरों की तरह गाँवों में इंटरनेट नहीं बेचा जा सकता है। इस खाई को पाटना कोई सरल काम नहीं होगा।^{5,6}

9. दृष्टिकोण और पद्धति—

- मंत्रालय, विभाग, राज्य पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.सी.टी. की बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे।
- मौजूदा चल रहे ई-शासन पहलों का पुनर्गठन किया जाएगा एवं उन्हें डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ पंक्तिबद्ध किया जायेगा।
- स्कोप वृद्धि, प्रोसेस पुनर्रचना, एकीकृत अंतर्प्रयोगात्मक सिस्टम, क्लाउड और मोबाइल जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिकों को सरकारी सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।⁷

- राज्यों को उनके सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक विशिष्ट परियोजनाओं के पहचान एवं शामिल किए जाने के लिए लचीलापन दिया जाएगा।
- सफलताओं की पहचान की जाएगी और उनकी प्रतिकृति सतत् की जाएगी।
- जहाँ भी संभव हो सार्वजनिक निजी भागीदारी पसंद की जाएगी।⁸
- यूनिक आई डी के उपयोग का प्रोत्साहन पहचान, प्रमाणीकरण और लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- एनआईसी का पुनर्गठन केंद्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी विभागों को आई.टी. समर्थन मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
- कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी(सी.आई.ओ.) का पद बनाया जाएगा ताकि विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को तेजी से निर्माण, विकास एवं लागू किया जा सके।
- केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मिशन मोड और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र एकत्रीकरण और एकीकरण की जरूरत को देखते हुए यह उपयुक्त माना गया।⁹

10. निष्कर्ष— भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, फिर भी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अभी भी अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई-शासन योजना ने मिशन मोड परियोजनाओं और कोर आई.सी.टी. बुनियादी सुविधा के माध्यम से एक सतत् प्रगति की है, लेकिन देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और ई-शासन में प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया विजन इस पहल को संवेग एवं प्रगति प्रदान करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को शामिल करने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। 21 वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहाँ सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य आई.टी. की क्षमता को इस्तेमाल कर के भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणित करना है।

सन्दर्भ

1. <http://www.digitalindia.gov.in/>
2. http://hindi.webdunia.com/news-narendra-modi/what-is-digital-india-115052000009_1.html
3. <https://www.mygov.in/group/digital-india/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India
5. <http://www.hindikiduniya.com/essay/digital-india-essay-in-hindi/>
6. <http://digitalindia.gov.in/ebook/hindi/deity/page2.php>
7. https://hi.wikipedia.org/wiki/डिजिटल_भारत
8. <http://www.deepawali.co.in/digital-india-project-in-hindi.html>
9. <https://khabar.ndtv.com/topic/digital-india>